

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा (म0प्र0)

!! परिपत्र !!

क्रमांक ०५ / दो-11-2/2005 (भाग-2)

हरदा, दिनांक ०९ / 01 / 2025

प्रायः यह देखा जा रहा है कि इस न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ न्यायिक अधिकारीगण बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से बाहर प्रस्थान करते हैं, जो कि माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि समस्त अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज एक्ट) से एवं समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम/द्वितीय श्रेणी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से विचार विमर्श करने के पश्चात ही मुख्यालय छोड़ने की अनुमति हेतु आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

उपरोक्त निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

Sd/-
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)

पृ0क्रमांक ३०८१/ दो-11-2/2005 (भाग-2)

हरदा, दिनांक ९ / 01 / 2025

प्रतिलिपि-यथानिर्देश :-

1. समस्त न्यायिक अधिकारीगण, न्यायिक जिला स्थापना, हरदा
2. कोर्ट मैनेजर/उप प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा
3. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. सिस्टम ऑफिसर/डी.एस.ए., कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय, हरदा की ओर जिला न्यायालय हरदा की वेबसाईट पर अपलोड किये जाने एवं समस्त न्यायिक अधिकारीगण को ई-मेल व वाट्स-एप के माध्यम से सूचित किये जाने हेतु प्रेषित।

कृते-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
हरदा (म0प्र0)